

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव (वित्त) / निदेशक (बजट),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / विशेष प्रमुख सचिव / सचिव,
(अंकित तालिकानुसार),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त विभाग (बजट)

देहरादून :: दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक मांग निर्माण से पूर्व विभागों के साथ समीक्षा बैठक।

महोदय,

कृपया वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-310634/08 (150) 2015/XXVII (1) 2025, दिनांक 02 जुलाई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक मांग हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्न तालिकानुसार विश्वकर्मा भवन, सचिवालय में कक्ष संख्या-327 के समीप बजट कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक प्रस्तावित है:-

दिनांक	विभाग	समय
30/07/25	प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा	02:00 PM to 02:20 PM
	उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा	02:20 PM to 02:35 PM
	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा	03:00 PM to 03:20 PM
	आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं होम्योपैथिक चिकित्सा	03:20 PM to 03:35 PM
	खेल-कूद एवं युवा कल्याण	03:35 PM to 03:50 PM
	शहरी विकास, आवास एवं पेयजल	03:50 PM to 04:15 PM
	पुलिस एवं जेल	04:15 PM to 04:30 PM
	लोक निर्माण विभाग	04:30 PM to 04:40 PM
	सिंचाई, लघु सिंचाई	04:40 PM to 04:50 PM

विभागवार सचिव स्तर की IFMS में मांग व औचित्य के साथ बजट साहित्य के क्रमानुसार (विस्तृत लेखाशीर्षक के अनुसार) चर्चा की जाएगी।

अतः आग्रह है कि बैठक में अधीनस्थ विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक स्वयं प्रतिभाग करें एवं शासन से सक्षम स्तर के अधिकारी (जो संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून हों) प्रतिभाग करें। अनुदान सं0 30 एवं 31 की समीक्षा सम्बन्धित विभागों के साथ ही की जायेगी।

भवदीय,



(दिलीप जावलकर)

सचिव (वित्त) / निदेशक (बजट)।

संख्या / 37 / E-46661 / बजट / 2025, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव- मा0 मुख्यमंत्री जी को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।

3. समस्त अपर सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग) को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित वित्त अनुभाग अधिकारियों सहित उक्त तालिका में अंकित अपने व्यय नियंत्रण से सम्बन्धित विभागों के साथ निर्धारित तिथि/ समय से पूर्व शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।
4. मैनेजर, कैटीन, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, सचिवालय, देहरादून।



(दिलीप जावलकर)
सचिव (वित्त)/ निदेशक (बजट)।

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव (वित्त)/ निदेशक (बजट),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/ सचिव,
(अंकित तालिकानुसार),
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 86 / 37 / E-46661 / बजट / 2025

वित्त विभाग (बजट)

देहरादून :: दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक मांग निर्माण से पूर्व विभागों के साथ समीक्षा बैठक।

महोदय,

कृपया वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-310634/08 (150) 2015/XXVII (1) 2025, दिनांक 02 जुलाई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक मांग हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में निम्न तालिकानुसार विश्वकर्मा भवन, सचिवालय में कक्ष संख्या-327 के समीप बजट कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक प्रस्तावित है:-

दिनांक	विभाग	समय
31/07/25	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	12:30 PM to 12:40 PM
	नियोजन, सेतु, सी0पी0पी0जी0जी0	12:40 PM to 01:00 PM
	कृषि, उद्यान	01:00 PM to 01:15 PM
	ग्राम्य विकास विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0	01:15 PM to 01:30 PM
	महिला विकास, बाल विकास	01:30 PM to 01:50 PM
	राजस्व, वन एवं पर्यावरण	01:50 PM to 02:15 PM
	सामान्य प्रशासन, राज्य सम्पत्ति विभाग	03:00 PM to 03:15 PM
	नागरिक उड्डयन (यूकाडा), पर्यटन	03:15 PM to 03:30 PM
	श्रम (ई0एस0आई0)	03:30 PM to 03:40 PM
	जनजाति कल्याण, सूचना	03:40 PM to 03:50 PM
	पशुपालन, डेयरी एवं सहकारिता	03:50 PM to 04:00 PM

विभागवार सचिव स्तर की IFMS में मांग व औचित्य के साथ बजट साहित्य के क्रमानुसार (विस्तृत लेखाशीर्षक के अनुसार) चर्चा की जाएगी।

अतः आग्रह है कि बैठक में अधीनस्थ विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक स्वयं प्रतिभाग करें एवं शासन से सक्षम स्तर के अधिकारी (जो संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून हों) प्रतिभाग करें। अनुदान सं0 30 एवं 31 की समीक्षा सम्बन्धित विभागों के साथ ही की जायेगी।

भवदीय,



(दिलीप जावलकर)
सचिव (वित्त)/ निदेशक (बजट)।

संख्या / 37 / E-46661 / बजट / 2025, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव- मा0 मुख्यमंत्री जी को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त अपर सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग) को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित वित्त अनुभाग अधिकारियों सहित उक्त तालिका में अंकित अपने व्यय नियंत्रण से सम्बन्धित विभागों के साथ निर्धारित तिथि/ समय से पूर्व शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे।
4. मैनेजर, कैंटीन, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, सचिवालय, देहरादून।



(दिलीप जावलकर)
सचिव (वित्त) / निदेशक (बजट)